सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **267/2018** दायर दिनॉक **02.08.2018**

वादी		प्रतिवादी
1. अनिशा बानो पुत्री सिकन्दर खॉं पत्नी रिजवान खॉं, जाति–कायमखानी, उम्र–25साल, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. हसीना पुत्री सोनेखॉं, (फौत), के वारिशान्– 2/1 जावेद पुत्र स्वर्गीय हसीना, 2/2 बेवी पुत्री स्वर्गीय हसीना, 2/3 मुस्कान पुत्री स्वर्गीय हसीना, 2/4 नाजमीन पुत्री स्वर्गीय हसीना, समस्त,जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. इफतिखार आलम पुत्र एनुलहक, जाति–पठान, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. हबीबखॉं पुत्र नसीरखॉं, 5. इसराईलखॉं पुत्र नसीरखॉं, 6. फूल मोहम्मद पुत्र नसीरखॉं, समस्त,जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. रबना पत्नी रहमान, 8. जलाल पुत्र रहमान, 9. जाकीर पुत्र रहमान, 10. कालू पुत्र रहमान, 11. जाबीर पुत्र रहमान, 12. शकील पुत्र रहमान, 13. फदीना पुत्री रहमान, 14. जाहीदा पुत्री रहमान, 15. अफसाना पुत्री रहमान, जाति–भाट, निवासी–थाणू,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 267 / 2018
दायर दिनाँक 02.08.2018, निर्णय दिनाँक 06.11.2018
अनिशाबानो बनाम् महेन्द्रसिंह, वगैरा।

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 नाबालिगान् जरिये कुदरती वालिया माता रबना पत्नी रहमान, जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **16.** असफाकअली पुत्र सलीम, जाति–देशवाली, निवासी–खातियाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **17.** गजेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, उम्र–38साल, जाति–राजपूत, निवासी–ठाकरियावास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, जरिये डायरेक्टर श्रीराम प्रॉपर्टीज, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **18.** भानुप्रतापसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, उम्र–30साल, जाति–राजपूत, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, जरिये डायरेक्टर श्रीराम प्रॉपर्टीज, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **19.** महिपालसिंह पुत्र भँवरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **20.** जाकिर पुत्र अ. मजीद, जाति–देशवाली, निवासी–दीनदरवाजा के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **21.** प्रबन्धक, एस.बी.आई.बैंक, शाखा–महावीर मार्केट डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **22.** माशाअल्लाह पत्नी सवालीन,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 267 / 2018
दायर दिनाँक 02.08.2018, निर्णय दिनाँक 06.11.2018
अनिशाबानो बनाम् महेन्द्रसिंह, वगैरा।

		जाति–देशवाली, निवासी–वालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री सुनील शर्मा, वकील, वादी।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **06.11.2018**

सरहद मौजा थाणू तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 146 रकबा 36.04 बीघा, घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 15.10.2018 को प्राथमिक डिक्री कर, विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 2293 दिनाँक 01.11.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन पत्रांकः 2293 दिनाँक 01.11.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा थाणू तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 146 रकबा 36.04 बीघा, का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 2293 दिनाँक

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 267 / 2018
दायर दिनाँक 02.08.2018, निर्णय दिनाँक 06.11.2018
अनिशाबानो बनाम् महेन्द्रसिंह, वगैरा।

01.11.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 2293 दिनाँक 01.11.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

अंतिम निर्णय आज दिनाँक **06.11.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 267/2018 दायर दिनाँक 02.08.2018

वादी		प्रतिवादी
1. अनिशा बानो पुत्री सिकन्दर खाँ पत्नी रिजवान खाँ, जाति–कायमखानी, उम्र–25साल, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–थाणू तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. हसीना पुत्री सोनेखाँ, (फौत), के वारिशान्– 2/1 जावेद पुत्र स्वर्गीय हसीना, 2/2 बेबी पुत्री स्वर्गीय हसीना, 2/3 मुस्कान पुत्री स्वर्गीय हसीना, 2/4 नाजमीन पुत्री स्वर्गीय हसीना, समस्त,जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. इफतिखार आलम पुत्र एनुलहक, जाति–पठान, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. हबीबखाँ पुत्र नसीरखाँ, 5. इसराईलखाँ पुत्र नसीरखाँ, 6. फूल मोहम्मद पुत्र नसीरखाँ, समस्त,जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. रबना पत्नी रहमान, 8. जलाल पुत्र रहमान, 9. जाकीर पुत्र रहमान, 10. कालू पुत्र रहमान, 11. जाबीर पुत्र रहमान, 12. शकील पुत्र रहमान, 13. फदीना पुत्री रहमान, 14. जाहीदा पुत्री रहमान, 15. अफसाना पुत्री रहमान, जाति–भाट, निवासी–थाणू,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 नाबालिगान् जरिये कुदरती वालिया माता रबना पत्नी रहमान, जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. असफाकअली पुत्र सलीम, जाति–देशवाली, निवासी–खातियाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. गजेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, उम्र–38साल, जाति–राजपूत, निवासी–ठाकरियावास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, जरिये डायरेक्टर श्रीराम प्रॉपर्टीज, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. भानुप्रतापसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, उम्र–30साल, जाति–राजपूत, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, जरिये डायरेक्टर श्रीराम प्रॉपर्टीज, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. महिपालसिंह पुत्र भँवरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. जाकिर पुत्र अ. मजीद, जाति–देशवाली, निवासी–दीनदरवाजा के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. प्रबन्धक, एस.बी.आई.बैंक, शाखा–महावीर मार्केट डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. माशाअल्लाह पत्नी सवालीन, जाति–देशवाली, निवासी–बालिया,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **06.11.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनील शर्मा, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा थाणू तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 146 रकबा 36.04 बीघा, का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 2293 दिनाँक 01.11.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 2293 दिनाँक 01.11.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.11.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा 1/8 भाग, वादी व प्रतिवादी संख्या 22 की खरीद सुदा भूमि है जिसपर खरीद के पश्चात् से ही वादी व प्रतिवादी संख्या 22 का लगातार कब्जाकाश्त है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 के मन में लालच आने से वे वादग्रस्त भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 22 के हिस्से 1/8 भाग को बेचाण करने पर आमादा होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 22 के अधिकारों पर भारी क्लाउड्स छा गये हैं जिसकारण वादी ने बाबत् बन्टवारा वाद पेश किया है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 22 का हित समान ही है मगर सकुनत पर हाजिर नहीं होने से उन्हें बतौर प्रतिवादी संख्या 22 बनाया है। प्रतिवादी संख्या 23 तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है, जो लेण्ड होल्डर है व आवश्यक पक्षकार है मगर इनके खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है।

बिनाय दावा मौजूदा कब्जाकाश्त भूमि मे दिनाँक 31.05.2018 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 के द्वारा खेत में आकर बैचाण करने की एलानियाँ धमकी देने व खेत से बेदखल करने की धमकी देने से, बमुकाम थाणू उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद थाणू में खसरा नम्बर 146 रकबा 36.04 बीघा भूमि का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच, बाईमीट्स बाउण्ड्स के कर इसमें से हिस्सा 1/8 भाग भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 22 के संयुक्त रूप से घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामीलगी के न्यायायलय अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी के वाद मे संशोधित शीर्षक पेश हुआ, जिस पर कोई आपत्ति पेश नही हुई। संशोधित शीर्षक मे प्रतिवादी संख्या 02 के फौत होने से उनके वारिशान् को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आवेदन पेश हुआ। आपत्ति पेश नही होने से उन्हें प्रतिवादीगण संख्या 2/1 ता 2/4 बतौर पक्षकार बनाया गया।

साक्ष्य वादी मे, वादी की ओर से शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ।

वादी ने वाद के समर्थन मे, शपथ–पत्र, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी ग्राम थाणू सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 129/160 की प्रतिलिपि, पेश की है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी मौके पर पक्षकारान् काबिज मुताबिक वाद डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है। प्रतिवादीगण हाजिर नही है। वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण खातेदार है। वादी जरिये वकील अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी अलग चाहता है। वाद बन्टवारा से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित है। वकील वादी, वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाने मे सहमति व्यक्त करते है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इस्तगासा वादी जरिये वकील पर मनन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वाद का किसी पक्षकारा द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वकील वादी वाद में प्राथमिक डिक्री किया जाने में अपनी सहमति पेश करते है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी दर्ज खातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाना चाहते हैं। वादी वादग्रस्त भूमि में खातेदार होने से विधिवत् बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान् के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसीलदार डीडवाना से विभाजन प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा थाणू में खेत खसरा नम्बर 146 रकबा 36.04 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में, हिस्सेदारान् को उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु, सामुहिक रास्ता की भूमि उपलब्ध करवाते हुए, तहसीलदार डीडवाना दो प्रतियों में कुर्रेजात पेश करेंगे।

(उतमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक 15.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उतमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक—267—2018 / रीडर / 2018 / 902 दिनांक 18/10/18

प्रेषिति:—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T.Act.

बादी		प्रतिवादी
1. आनेशा बानो पुत्री सिकन्दर खाँ पत्नी रिजवान खाँ, जाति—कायमखानी, उम्र—25साल, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—थाणू तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। प्राथमिक निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner